



भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप-7

पावती सं0.....

(कार्यालय द्वारा भरी जाएं)

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13(2) और 26 देखें)

मृत्यु/स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावली में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप/अपना नाम हटाने/किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन ।

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन

मैं निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूं ।

☐

मैं निवेदन करता हूं नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम से संबंधित प्रविष्टि को हटाया जाना अपेक्षित है

☐

मैं निवेदन करता हूं कि निर्वाचक नामावली से मुझसे संबंधित प्रविष्टि हटाई जानी है

☐

मेरे आक्षेप या हटाए जाने के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं :

आवेदक की विशिष्टियां

(क) नाम

(ख) उपनाम (यदि कोई हो)

(ग) भाग सं.

☐
☐
☐
☐

(घ) क्रम सं.

☐
☐
☐
☐

(ड.) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)

उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है या जिसकी प्रविष्टि हटाई जानी है :

(क) नाम

(ख) उपनाम (यदि कोई हो)

(ग) भाग सं.

☐
☐
☐
☐

(घ) क्रम सं.

☐
☐
☐
☐

(ड.) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई है)

(च) आक्षेप / हटाए जाने के कारण

घोषणा - मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मुझे मालूम है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूं या विश्वास करता हूं कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूं । वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

स्थान.....

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर.....

क्षेत्र स्तर सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी